

Additional District Magistrate, Ghaziabad

Ref:-...232.../NGT OA No-1016/19/2020

Dated...30.06-2020

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com


Sub: Report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New delhi on dated 17.3.2020 (uploaded on 23.3.2020) in matter of O.A. No. 125/2019, Vikas Singh Applicant(s) Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. And merged With Original Application No. 550/2019 With Original Application No. 792/2019 With Original Application No. 47/2018 (I.A. No. 02/2019)

Sir,

With reference to the above mentioned subject, a Report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New delhi on dated 17.3.2020 (uploaded on 23.3.2020) in matter of O.A. No. 125/2019, Vikas Singh Applicant(s) Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. And merged With Original Application No. 550/2019 With Original Application No. 792/2019 With Original Application No. 47/2018 (I.A. No. 02/2019).


Factual report in compliance of Hon'ble Tribunal's orders is hereby submitted on behalf of District Magistrate, Ghaziabad for kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely


(Yash Vardhan Srivastava)
Add. District Magistrate (F/R)
Ghaziabad

Copy to:

- 1- District Magistrate, Ghaziabad for information.
- 2- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 3- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
- 4- Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad for necessary action.


(Yash Vardhan Srivastava)
Add. District Magistrate (F/R)
Ghaziabad

Report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New delhi on dated 17.3.2020 (uploaded on 23.3.2020) in matter of O.A. No. 125/2019, Vikas Singh Applicant(s) Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. And merged With Original Application No. 550/2019 With Original Application No. 792/2019 With Original Application No. 47/2018 (I.A. No. 02/2019)

Hon'ble National Green Tribunal passed the orders on 17.3.2020 (uploaded on 23.3.2020) in O.A. No. 125/2019, Vikas Singh Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. Main highlights of the order related to District Ghaziabad is mentioned below:-

" 6. We also note that a communication dated 06.03.2020 has been filed by one Anupam Raghav son of Arun Kumar, Village Senda Faridpur, District Bulandshahr in connected matter being O.A. No. 1016/2019, Utkarsh Panwar Vs. Central Pollution Control Board & Ors. to the effect that inspite of order of prohibition of brick kilns in the NCR Region passed in the said matter, 350 brick kilns are illegally operating in the Ghaziabad District.

Let a copy of this complaint be forwarded to the District Magistrate, Ghaziabad and UPPCB so that compliance of order of this Tribunal dated 15.11.2019 directing closure of all brick kilns in NCR Region which order has been continued vide further orders dated 18.12.2019, 06.02.2020 and 05.03.2020 may be made.

List for further consideration on April 28, 2020."

Hon'ble Tribunal in O.A. No. 1016/2019, Utkarsh Panwar Vs. Central Pollution Control Board & Ors. Passed orders dated 15.11.2019, 18.12.2019, 03.01.2020, 06.02.2020 and 15.3.2020 for ensuring that all the brick kilns in NCR region of U.P. to remain closed till further orders.

In compliance to the above orders, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad vide letter no 5403/NGT/OA No 1016/2019/2020 dated 01.02.2020 (Annexure 1) and 5908/Sa. Patra- 26/2020 dated 06.03.2020 (Annexure 2) issued directions to Chairman/Secretary, Brick Kiln Association, Ghaziabad for ensuring strict compliance of the orders of Hon'ble Tribunal and to ensure that brick kilns shall not be operated. Further, the applicant Utkarsh Panwar filed a complaint to the office of District Magistrate Ghaziabad stating the mining work is being carried out by brick kilns in violation of the Hon'ble Tribunal order. District Magistrate, Ghaziabad, taking cognizance of the same, issued directions vide letter No

2
Ravi
02/05

5394/NGT-103/OA-1016/19/2020 dated 31.01.2020 (**Annexure 3**) constituting a committee of concerned Sub-Divisional Magistrate and Mines Officer to verify the same and take action against the violating brick kilns.

District Magistrate, vide letter no 853/Kha.Anu-Gazi/Eent Bhatta/2019-20 dated 04.03.2020 (**Annexure 4**) issued directions to all the Sub-Divisional Magistrates (Sadar/Modinagar and Loni) and U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad to verify whether any brick kiln in the district are operating in violation of Hon'ble Tribunal orders and to take action and submit the compliance report.

In compliance to the orders of Hon'ble Tribunal and District Magistrate, Ghaziabad, regular surveys have been carried out by the officials of U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad between 15.02.2020 to 05.03.2020. During inspection of total 66 brick kilns between the said period, 03 brick kilns were found operating which were closed during the inspection and recommendation to impose environmental compensation has been sent to Head Office, U.P. Pollution Control Board, Lucknow. (Reports have been annexed as **annexure 5**)

Further, Sub-Divisional Magistrate, Loni vide letter no 1629/ST-SDM-2019-20 dated 11.03.2020 (**Annexure 6**) submitted action taken report wherein stating that all the brick kilns in Tehsil Loni, Ghaziabad were inspected by the revenue team. During inspection 35 brick kilns were found at firing stages which were closed by the team. Officials of UPPCB, Ghaziabad also verified the said brick kilns situated in Loni, Ghaziabad on 16.03.2020 and it was found that 30 brick kilns were operating which were closed by the team and Environmental Compensation of all the 30 brick kilns have been recommended to Head Office, U.P. Pollution Control Board, Lucknow. (Reports are annexed as **annexure 7**)

As per the above, it is submitted that regular surveys have been conducted by District Administration and UPPCB, Ghaziabad and violating brick kilns have been recommended for imposition of Environmental compensation while closing these brick kilns on site during inspections.




In March, 2020, due to lockdown situation in the district with respect to COVID-19, inspections could not be carried put between the said period. However, it is submitted that during the lock down period, Chief Secretary, State of U.P. vide GO no 227/P.S.M.S./2020 dated 29.03.2020 (Annexure 8) Issued directions to all the District Magistrates of U.P to allow the brick kilns to operate in the State. Several brick kilns were closed during the lockdown period as most of the labours went back to their respective areas, but it is submitted that few of the brick kilns were operating during the lockdown period in compliance to the directions passed by Chief Secretary, Govt of U.P. but brick kilns could not be verified due to the lockdown conditions.

During the lockdown period between Month of March, 2020 - May, 2020, the ambient air quality report as monitored by the Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations located in Ghaziabad have been annexed as annexure 9).

The report in the aforesaid matter is put up for your perusal and necessary action please.



(R.B. Singh)
District Mining Officer,
Ghaziabad



(B.K. Singh)
Assistant Environment Engineer
Regional Office, UPPCB
Ghaziabad



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5403/N47/OA/NO-1016/2019/2020 दिनांक 01/02/2020

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव
ईट निर्माता समिति,
गाजियाबाद।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 1016/2019 Utkarsh Panwar VS Central Pollution Control Board & Ors. के आदेश दिनांक 18.12.2019 एवं दिनांक 30.01.2020 को पारित आदेशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 1016/2019 Utkarsh Panwar VS Central Pollution Control Board & Ors. के आदेश दिनांक 18.12.2019 में निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

"..... In view of the above, while CPCB may conduct further study for assessment of different types of brick kilns with reference to source emissions from different types of fuels, having regard to the conclusion that average fugitive SPM values are almost same in FCBTK and Zig-Zag brick kilns, the interim order directing closure of brick kilns in NCR will continue till the next date. Thereafter, brick kilns in NCR may be allowed only consistent with the carrying capacity and siting criteria, subject to GRAP, consent conditions and background concentration of ambient air quality....."

उक्त के क्रम में दिनांक 30.01.2020 को प्रकरण में अग्रिम सुनवाई सम्पन्न हुई है, जिसके उपरान्त मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण की वेबसाइट पर निम्न आदेश अपलोड किये गये हैं:-

"Hearing concluded. Order will be uploaded on the website on or before 10.02.2020"

उक्त आदेशों की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है, जिससे कि ईट भट्टों के संचालन के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायें। मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भट्टों का संचालन न किया जायें अन्यथा की दशा में ईट भट्टे के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का होगा।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : S908/उ०प्र०-26/2020

दिनांक 06/03/2020

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव
ईट निर्माता समिति,
गाजियाबाद।

Mail

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे विचाराधीन ओ०ए० संख्या 1016/2019 Utkarsh Panwar VS Central Pollution Control Board & Ors. के आदेश दिनांक 05.03.2020 को पारित आदेशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे विचाराधीन ओ०ए० संख्या 1016/2019 Utkarsh Panwar VS Central Pollution Control Board & Ors. के आदेश दिनांक 05.03.2020 मे निम्न आदेश पारित किये गये है:-

".....In view of the above, it is necessary to look at the relevant data at different locations '24 hourly' and 'monthly average' during the relevant months. Since such data is maintained by the CPCB/PCBs, the CPCB may collect such data for corresponding months of March, April, May and June in the year 2019 and furnish the same before the next date. The break-up of location of the brick kilns District-wise may also be furnished to consider as to which of the brick kilns can be allowed after verification that such brick kilns are actually working on 'Zig-Zag' technology, pending further assessment of the carrying capacity by the CPCB, as already directed earlier vide order dated 06.02.2020.

List for further consideration on 17.03.2020....."

उक्त आदेशों की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है, जिससे कि ईट भट्टों के संचालन के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायें। मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भट्टों का संचालन न किया जायें अन्यथा की दशा में ईट भट्टों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का होगा।

भवदीय

Utsav Sharma
(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

4. उपजिलाधिकारी, लोदी/खर/गोदी/गट को सूचनार्थ/क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

कार्यालय

जिलाधिकारी

गाजियाबाद

संदर्भ संख्या:- 529/1/1967-103/01A 1016/19/2020
आदेश

दिनांक : 3.11.2020

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक 18.12.2019 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

“.....In view of the above, while CPCB may conduct further study for assessment of different types of brick kilns with reference to source emissions from different types of fuels, having regard to the conclusion that average fugitive SPM values are almost same in FCBTK and Zig-Zag brick kilns, the interim order directing closure of brick kilns in NCR will continue till the next date. Thereafter, brick kilns in NCR may be allowed only consistent with the carrying capacity and siting criteria, subject to GRAP, consent conditions and background concentration of ambient air quality....”

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश एवं श्री उत्कर्ष पंवार द्वारा प्रेषित शिकायत के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद से प्राप्त आख्या के अनुसार तहसील लोनी, गाजियाबाद में स्थापित ईट भट्टों का सर्वेक्षण कराया गया। लोनी में स्थापित किसी भी ईट भट्टे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

श्री उत्कर्ष पंवार पुत्र श्री अश्वनी कुमार, ग्राम सकौती, मेरठ द्वारा शिकायत की गयी है कि लोनी तहसील में ईट भट्टों को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए खनन एवं ईट पथाई का कार्य किया जा रहा है। उक्त शिकायत के क्रम में तहसील लोनी के ईट भट्टों हेतु की जा रही पथाई/खनन की जाँच हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:-

1. उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद।
2. जिला खान अधिकारी, गाजियाबाद।

उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए दोषी ईट भट्टों के विरुद्ध कार्यवाही कर आख्या अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


(अजय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को कार्यवाही हेतु।

1. उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद।
2. जिला खान अधिकारी, गाजियाबाद।


जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

Annexure - 4
07/03/20

उच्च न्यायालय प्रकरण / अति महत्वपूर्ण / तत्काल
कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
खनन अनुभाग

पत्र सं०:- 853 / ख०अनु०-गाजि०/ईट-भट्टा/ 2019-20

दिनांक: 04/03/2020

1. उपजिलाधिकारी
सदर / मोदीनगर / लोनी।

विषय:- मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 अवमानना याचिका सं० 519/2020 (बादल सिंह बनाम श्री आर०पी० सिंह चैयरमेन स्टेट लेविल एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट ऑथोरिटी एवं तीन अन्य) के अनुपालन के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्र सं० 812/ख०अनु०-गाजि०/ईट-भट्टा /2019-20 दिनांक 14.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 अवमानना याचिका सं० 519/2020 (बादल सिंह बनाम श्री आर०पी० सिंह चैयरमेन स्टेट लेविल एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट ऑथोरिटी एवं तीन अन्य) एवं मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2014 एवं 03.12.2014 एवं मा० नेशनल ग्रीन ट्रेबुनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2019, 18.12.2019, 30.01.2020 एवं 06.02.2020 (O.A. No. 1016/2019 Utkarsh Panwar V/s Central Pollution Control Board & others) की अवमानना के सम्बंध में शिकायत की गयी है तथा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 साथ ही मा० नेशनल ग्रीन ट्रेबुनल नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त वर्णित ओ०ए० सं० 1016/2019 दिनांक 15.11.2019 एवं 18.12.2019 में पारित आदेशों के क्रम में अनुपालन सुनिश्चित कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु अभी तक कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 01 सप्ताह के अन्दर प्रभावी कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या अति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे समयान्तर्गत मा० न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका के सम्बंध में प्रस्तरवार आख्या प्रस्तुत की जा सकें।

संलग्नक:- यथोपरि।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पत्र सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस अधीक्षक, (ग्रामीण) / (नगर), गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से कि कृपया सभी सम्बंधित थानाध्यक्षों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित की पत्र में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत प्रभावी कार्यवाही करते हुये आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. खान अधिकारी, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संमस्त तहसीलों से प्राप्त प्रभावी कार्यवाही को संकलित कर प्रस्तरवार आख्या तैयार कराकर प्रस्तुत करें।
4. अध्यक्ष, जिला गाजियाबाद ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ABHAS
D

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

Sl. No.	Name and Add-	EC Amount	Recommendation Date
1	मैसर्स मॉ वैष्णव ब्रिक फील्ड, खसरा नं-550, दौसाबंजारपुर मोदीनगर, गाजियाबाद	18,750	19-02-20
2	मैसर्स शिव शक्ति ब्रिक फील्ड, ग्राम- कुन्हेडा, सुराना, मोदीनगर, गाजियाबाद	12,500	22-02-20
3	मैसर्स मो० उमर शफीक ब्रिक फील्ड, ग्राम-नाहल तहसील-सदर, जिला-गाजियाबाद	43,750	22-02-20



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5857 / सी / ईट भटठा-958/2020

दिनांक 28/02/2020

सेवामें

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

Mail

विषय: मैसर्स शिव शक्ति ब्रिक फील्ड, ग्राम- कुन्हेडा, सुराना, मोदीनगर, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ईट भटठे के विरुद्ध प्राप्त शिकायत दिनांक 21.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में मैसर्स शिव शक्ति ब्रिक फील्ड, ग्राम- कुन्हेडा, सुराना, मोदीनगर, गाजियाबाद का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.02.2020 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण के समय ईट भटठा संचालित पाया गया। उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक 18.12.2019 एवं 30.01.2020 के अनुपालन में एन०सी०आर० क्षेत्र में ईट भटठों का संचालन अग्रिम आदेशों तक बन्द किया गया है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ईट भटठा मैसर्स शिव शक्ति ब्रिक फील्ड, ग्राम- कुन्हेडा, सुराना, मोदीनगर, गाजियाबाद के विरुद्ध रु० 12,500/- (बारह हजार पाँच सौ रूपये) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

w/c

[Signature]



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5219/सी/ईट भटठा-761/2020

दिनांक 19/02/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

Mail

विषय: मैसर्स मॉ वैष्णव ब्रिक फील्ड, खसरा नं-550, दौसाबंजारपुर मोदीनगर, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में मैसर्स मॉ वैष्णव ब्रिक फील्ड, खसरा नं-550, दौसाबंजारपुर मोदीनगर, गाजियाबाद का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 19.02.2020 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण के समय ईट भटठा संचालित पाया गया। ईट भटठा द्वारा दिनांक 17.02.2020 से ईट भटठे का संचालन किया गया है। उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक 18.12.2019 एवं 30.01.2020 के अनुपालन में एन०सी०आर० क्षेत्र में ईट भटठों का संचालन अग्रिम आदेशों तक बन्द किया गया है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ईट भटठा मैसर्स मॉ वैष्णव ब्रिक फील्ड, खसरा नं-550, दौसाबंजारपुर मोदीनगर, गाजियाबाद के विरुद्ध रु० 18,750/- (अठारह हजार सात सौ पच्चीस) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उत्सव शर्मा
(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय उप-जिलाधिकारी लोनी।

पत्रांक 1629 / एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11 मार्च, 2020.

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषय:- तहसील लोनी क्षेत्रान्तर्गत मे संचालित ईट-भट्टो को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या 812/ख0अनु0-गाजि0 /ईट भट्टा/2019-20 दिनांक 14.02.2020 का अवलोकन करना चाहें जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद याचिका संख्या 516/2020 (बादल सिंह बनाम श्री आर0पी0 सिंह एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0-1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.02.2020 का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में तहसीलदार लोनी द्वारा तहसील लोनी क्षेत्रान्तर्गत समस्त ईट-भट्टों का मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें कुल 64 भट्टों में से 29 भट्टे पूर्व से ही बन्द पाये गये तथा 35 भट्टें जिनमें फुंकाई का कार्य चल रहा था, को तत्काल प्रभाव से बन्द कराया गया है। वर्तमान में तहसील लोनी क्षेत्रान्तर्गत किसी भी ईट-भट्टे पर ईट पथाई एवं फुंकाई का कोई कार्य नहीं हो रहा है। सूची साथ संलग्न है।

अतः तहसीलदार लोनी की आख्या मूलरूप में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


11.3.2020
उपजिलाधिकारी,
लोनी।

कार्यालय

तहसीलदार

लोनी।

पत्रांक-~~1029~~ / आर0सी0-लोनी / 2019-20

दिनांक 1) मार्च, 2020.

64)
उपजिलाधिकारी,
लोनी।

विषय:- तहसील लोनी क्षेत्रान्तर्गत मे संचालित ईट-भट्टो को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के कार्यालय पत्र संख्या 812/ख0अनु0-गाजि0 /ईट भट्टा/2019-20 दिनांक 14.02.2020 का अवलोकन करना चाहें जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद याचिका संख्या 516/2020 (बादल सिंह बनाम श्री आर0पी0 सिंह एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0-1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.02.2020 का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में राजस्व निरीक्षक बहटा हाजीपुर लोनी द्वारा तहसील लोनी क्षेत्रान्तर्गत समस्त ईट-भट्टों का मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें कुल 64 भट्टों में से 29 भट्टे पूर्व से ही बन्द पाये गये तथा 35 भट्टें जिनमें फुंकाई का कार्य चल रहा था, को तत्काल प्रभाव से बन्द कराया गया है। वर्तमान में तहसील लोनी क्षेत्रान्तर्गत किसी भी ईट-भट्टे पर ईट पथाई एवं फुंकाई का कोई कार्य नहीं हो रहा है। सूची साथ संलग्न है।

अतः राजस्व निरीक्षक बहटा हाजीपुर की आख्या मूलरूप में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


तहसीलदार,
लोनी।

महोदय,

तहसील लोनी क्षेत्रान्तर्गत समस्त ईट-भट्टों का मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें कुल 64 भट्टों में से 29 भट्टे पूर्व से ही बन्द पाये गये तथा 35 भट्टें जिनमें फुंकाई का कार्य चल रहा था, को तत्काल प्रभाव से बन्द कराया गया है, जिसकी आख्या निम्नवत है:-

क्र०सं 0	फर्म का नाम एवं भट्टा स्वामी	ग्राम/भट्टा स्थल	तहसील	जिग जैग/ साधारण भट्टा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राय कम्पनी चिरोडी/ श्री रणवीर	चिरोडी	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
2	मै० लक्ष्मी ब्रिक फील्ड/ श्री सतपाल	चिरोडी	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
3	दुर्गा ब्रिक फील्ड/ श्री जगत सिंह	निठौरा	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
4	जय दुर्गा भट्टा कम्पनी/ श्री सतवीर उर्फ सत्तू	निठौरा	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
5	सरदार पटेल भट्टा/ श्री भीम सिंह	निठौरा	लोनी	साधारण	मौके पर बन्द पाया गया।
6	दीपक ब्रिक फील्ड/ श्री रामकुमार	भनैडा खुर्द	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य चालू था जिसे मौके पर बन्द करा दिया गया है।
7	दुर्गा ब्रिक फील्ड/श्री बन्टी	भनैडा खुर्द	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य चालू था जिसे मौके पर बन्द करा दिया गया है।
8	बी०एम० भट्टा कम्पनी/ श्री प्रदीप	असालतपुर	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य चालू था जिसे मौके पर बन्द करा दिया गया है।
9	बालाजी ब्रिक फील्ड/ श्री अशोक कुमार	असालतपुर	लोनी	साधारण	फुंकाई का कार्य चालू था जिसे मौके पर बन्द करा दिया गया है।
10	बालाजी भट्टा उद्योग/ श्री डा० जगदीश	महमूदपुर	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य चालू था जिसे मौके पर बन्द करा दिया गया है।
11	एम०एस०सी० ब्रिक फील्ड / श्री चाहतराम	महमूदपुर	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य चालू था जिसे मौके पर बन्द करा दिया गया है।
12	आर०एल०एम० ब्रिक फील्ड/ श्री सन्तराम	महमूदपुर	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य चालू था जिसे मौके पर बन्द करा दिया गया है।
13	मै० बाबा मोहनराम/ श्री सतपाल	औरंगाबाद रिस्तल	लोनी	जिग जैग	चालू था जिसे मौके पर बन्द कराया गया।
14	मै० एस०बी०एफ०/ श्री कवरपाल	औरंगाबाद रिस्तल	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
15	मै० जनता ब्रिक फील्ड/ श्री जगदीश कुमार	औरंगाबाद रिस्तल	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
16	मै० महावीर भट्टा कम्पनी/ श्री राजेश कुमार	कोतवालपुर	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
17	मै० शिव भट्टा कम्पनी/ श्री अमित कुमार	शकरपुला	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
18	मै० श्रीराम भट्टा कम्पनी/ श्री विनय कुमार	शकरपुला	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
19	मै० अरुण ब्रिक फील्ड/ श्री त्रिलोक चन्द	शकरपुला	लोनी	जिग जैग	चालू था जिसे मौके पर बन्द कराया गया।
20	मै० शंकर भट्टा कम्पनी /श्री रविन्द्र कुमार	शकरपुला	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
21	मै० रिचा ब्रिक फील्ड /श्री प्रवीन कुमार	शकरपुला	लोनी	जिग जैग	चालू था जिसे मौके पर बन्द कराया गया।
22	मै० निधि ब्रिक फील्ड /श्री मोहित कसाना	अफजलनगर सिती	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।




23	मै० डी०सी०एम० ब्रिक फील्ड / श्री राजेन्द्र कुमार	अफजलनगर सिती	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
24	मै० बालाजी भट्टा कम्पनी / श्री कृष्ण कुमार	अफजलनगर सिती	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
25	मै० एम०बी०सी० भट्टा कम्पनी / श्री अमरजीत	मूर्तजाबाद भूपखेडी	लोनी	जिग जैग	चालू था जिसे मौके पर बन्द करा दिया गया है।
26	मै० दीपक ब्रिक फील्ड / श्री राजेन्द्र	शरफूददीनपुर र जावली	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
27	मै० एशवीर ब्रिक फील्ड / श्री राजेन्द्र	शरफूददीनपुर र जावली	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
28	के०एस० ब्रिक फील्ड / श्री जीतराम	शरफूददीनपुर र जावली	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
29	हनुमान ब्रिक फील्ड / श्री अजीत कुमार	शरफूददीनपुर जावली	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
30	दीपक ब्रिक फील्ड / श्री राजेन्द्र	शरीफाबाद राजपुर	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
31	विवेक ब्रिक फील्ड / श्री राजेन्द्र	शरीफाबाद राजपुर	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
32	प्रवीण ब्रिक फील्ड / श्री राजेन्द्र	शरीफाबाद राजपुर	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
33	आम्रपाली बिक फील्ड / श्री महिपाल	शरीफाबाद राजपुर	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
34	के०एस० ब्रिक फील्ड / श्री जीतराम	शरीफाबाद राजपुर	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
35	के०एस० ब्रिक फील्ड / श्री कृष्णपाल	शरीफाबाद राजपुर	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
36	आर०के०एफ० ब्रिक फील्ड / श्री महाराज सिंह	शरीफाबाद राजपुर	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
37	एस०बी०सी० शक्ति ब्रिक फील्ड / श्री बबू चौधरी	मेवला भट्टी	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
38	पी०बी०एफ० प्रधान ब्रिक फील्ड / श्री महेश	मेवला भट्टी	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
39	एल०बी०एफ० / श्री रविन्द्र	धारीपुर	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
40	जे०बी०सी० जगत भट्टा कम्पनी श्री जगत	धारीपुर	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
41	बी०बी०सी० / सुधा	धारीपुर	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
42	पी०बी०एफ० प्रधान ब्रिक फील्ड / श्री महेश	धारीपुर	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
43	एन०बी०एफ० /	धारीपुर	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
44	एस०बी०एफ० / श्री अजीत	धारीपुर	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
45	आर०बी०सी० / श्री रविन्द्र	धारीपुर	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
46	बाबा ब्रिक फील्ड / श्री सरजीत	धारीपुर	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
47	डी०सी०एम० / श्री हरिन्द्र	धारीपुर	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।


48	आर०के०सी० / राकेश लाला	धारीपुर	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
49	पी०बी०एफ० / श्री सतपाल गुप्ता	बादशाहपुर सिरौली	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
50	एम०के०एफ० / श्री लाला घनश्याम	बादशाहपुर सिरौली	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
51	333 / श्री अमित कुमार	बादशाहपुर सिरौली	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
52	333 / श्री अमित कुमार	बादशाहपुर सिरौली	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
53	एस०के०बी० / श्री सुरेन्द्र	बादशाहपुर सिरौली	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
54	के०बी०सी० / श्री संजय	बादशाहपुर सिरौली	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
55	एल०बी०एफ०-2 राकेश ब्रिक फील्ड / श्री रामकुमार	बादशाहपुर सिरौली	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
56	एच०बी०एफ० / श्री लाला घनश्याम	बादशाहपुर सिरौली	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
57	वी०बी०एफ० / श्री जैनी एवं श्री संजय	बादशाहपुर सिरौली	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
58	एम०बी०एफ० / श्री जगमेर	बादशाहपुर सिरौली	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
59	एच०बी०सी० / श्री गजराज	बादशाहपुर सिरौली	लोनी	जिग जैग	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
60	एल०बी०सी० / श्री प्रदीप, राहुल	बादशाहपुर सिरौली	लोनी	-	फुंकाई का कार्य बन्द करा दिया गया है।
61	एम०बी०एफ० मों सन्तोषी ब्रिक फील्ड / श्री धर्मपाल	जाफराबाद गनौली	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
62	एफ०बी०एफ० शिव ब्रिक फील्ड / श्री धर्मपाल	जाफराबाद गनौली	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
63	एम०बी०एफ० बाबा ब्रिक फील्ड / श्री दयाचन्द	जाफराबाद गनौली	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।
64	एम०बी०एफ० विकास ब्रिक फील्ड / श्री राजकुमार	जाफराबाद गनौली	लोनी	जिग जैग	मौके पर बन्द पाया गया।



आख्या महोदय की सेवा मे सादर प्रेषित है।

Rajm

राजस्व निरीक्षक,
बहटा हाजीपुर









क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : S996 / सी / ईट भट्टा-943 / 2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स माँ० भगवती भट्टा कम्पनी, (बी०बी०सी०), धारीपुर लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भट्टों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **क्रम संख्या 41** पर अंकित ईट भट्टा **मैसर्स माँ० भगवती भट्टा कम्पनी, (बी०बी०सी०), धारीपुर लोनी, गाजियाबाद** का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भट्टा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भट्टा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भट्टा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भट्टे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स माँ० भगवती भट्टा कम्पनी, (बी०बी०सी०), धारीपुर लोनी, गाजियाबाद** पर रु० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स मॉ0 भगवती भटठा कम्पनी, (बी0बी0सी0), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में कम संख्या 41 पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स मॉ0 भगवती भटठा कम्पनी, (बी0बी0सी0), धारीपुर** लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स मॉ0 भगवती भटठा कम्पनी, (बी0बी0सी0), धारीपुर** लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10



TEN
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808222

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता विनोद कुमार पुत्र श्री दशरथ सिंह निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु..... स्वामी मैसर्स श्री भगवती ग्रहण कम्पनी धारिपुर मेवला
..... गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के क्रम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में क्रम संख्या 41 पर अंकित ईट भटठा BB-C का पूरा नाम एवं पता श्री भगवती ग्रहण कम्पनी धारिपुर मेवला है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।

3. वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं

प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठों का संचालन नहीं करूँगा एवं श्री भगवती ग्रहण कम्पनी धारिपुर मेवला द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।



ATTESTED
14/03/2020
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

विनोद कुमार
शपथकर्ता



कम संख्या-41 मैसर्स मॉ० भगवती भट्टा कम्पनी, (बी०बी०सी०), धारीपुर लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5995/सी/ईट भट्टा-540/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स अमरजीत भट्टा कम्पनी (एम०बी०एफ०), भूपखेड़ी, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भट्टों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **क्रम संख्या 25** पर अंकित ईट भट्टा **मैसर्स अमरजीत भट्टा कम्पनी (एम०बी०एफ०), भूपखेड़ी, लोनी, गाजियाबाद** का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भट्टा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भट्टा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भट्टा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भट्टे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स अमरजीत भट्टा कम्पनी (एम०बी०एफ०), भूपखेड़ी, लोनी, गाजियाबाद** पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c var

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स अमरजीत भट्टा कम्पनी (एम0बी0एफ0), भूपखेड़ी, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भट्टों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **कम संख्या 25** पर अंकित ईट भट्टा **मैसर्स अमरजीत भट्टा कम्पनी (एम0बी0एफ0), भूपखेड़ी, लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भट्टा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भट्टे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भट्टा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भट्टा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भट्टा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भट्टों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भट्टों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भट्टे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भट्टे का संचालन होता हुआ पाया गया था।

कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भट्टे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है।

अतः ईट भट्टे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के कम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भट्टे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स अमरजीत भट्टा कम्पनी (एम0बी0एफ0), भूपखेड़ी, लोनी, गाजियाबाद** पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808232

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता अमरजीत पुत्र श्री अलखान सिंह निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु ५२ स्वामी मैसर्स अमरजीत भट्टा कम्पनी
गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

- आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या २५ पर अंकित ईट भटठा A.B.C का पूरा नाम एवं पता अमरजीत भट्टा कम्पनी शहर लोनी है।
- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
- वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं
- मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है वर्तमान में ईट भटठों का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।



ATTESTED
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

Amassect
शपथकर्ता



कम संख्या-25 मैसर्स अमरजीत भट्टा कम्पनी (एम0बी0एफ0), भूपखेड़ी, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5994/सी/ईट भटठा-908/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स रिचा ब्रिक फील्ड, शकलपुरा, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **क्रम संख्या 21** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स रिचा ब्रिक फील्ड, शकलपुरा**, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स रिचा ब्रिक फील्ड, शकलपुरा**, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स रिचा ब्रिक फील्ड, शकलपुरा, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **क्रम संख्या 21** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स रिचा ब्रिक फील्ड, शकलपुरा, लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है।


अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में **number of days (N=02)** मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स रिचा ब्रिक फील्ड, शकलपुरा, लोनी, गाजियाबाद** पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ पत्र

10AE 808236

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता जुबीन शर्मा पुत्र श्री बलवीर शर्मा निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु 38 स्वामी मैसर्स विन्हा विन्हा फील्ड
गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

- आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 21 पर अंकित ईट भटठा R.B.F का पूरा नाम एवं पता बादशाह पुर दिल्ली गाजियाबाद है।
- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
- वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं ✓
- मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठों का संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठों का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।



TESTED
14/03/20
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

जुबीन शर्मा
शपथकर्ता



कम संख्या-21 मैसर्स रिचा ब्रिक फील्ड, शकलपुरा, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या 5993/सी/ईट भटठा-174/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स दीपक ब्रिक फील्ड, भनेड़ा खुर्द, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **क्रम संख्या 06** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स दीपक ब्रिक फील्ड, भनेड़ा खुर्द, लोनी, गाजियाबाद** का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स दीपक ब्रिक फील्ड, भनेड़ा खुर्द, लोनी, गाजियाबाद** पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स दीपक ब्रिक फील्ड, भनेड़ा खुर्द, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **क्रम संख्या 06** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स दीपक ब्रिक फील्ड, भनेड़ा खुर्द, लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।

कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2023 तक प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स दीपक ब्रिक फील्ड, भनेड़ा खुर्द, लोनी, गाजियाबाद** पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10



TEN
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808218

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड; गाजियाबाद।

शपथकर्ता श्री. राजेश कुमार पुत्र श्री श्री. राजेश कुमार निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु 48 स्वामी मैसर्स दीपक लिमिटेड
गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि-

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 6 पर अंकित ईट भटठा कैनेडा का पूरा नाम एवं पता कैनेडा है।
2. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा0 एन0जी0टी0 के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जबतक ईट भटठों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठों का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन जायेगा।



ATTESTED
14/03/2020
MANOJ KUMAR
Reg. No. -9543
Advocate & Notary
Govt. of India

Rajendra Kumar
शपथकर्ता



क्रम संख्या-06 मैसर्स दीपक ब्रिक फील्ड, भनेड़ा खुर्द, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5972/सी/ईट भटठा-396/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स अरुण ब्रिक फील्ड, शकलपुरा, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **क्रम संख्या 19** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स अरुण ब्रिक फील्ड, शकलपुरा**, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स अरुण ब्रिक फील्ड, शकलपुरा**, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स अरुण ब्रिक फील्ड, शकलपुरा, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **क्रम संख्या 19** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स अरुण ब्रिक फील्ड, शकलपुरा, लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.12.2022 प्राप्त है।


अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स अरुण ब्रिक फील्ड, शकलपुरा, लोनी, गाजियाबाद** पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी


भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808230

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।


शपथकर्ता अशोक चंद्र पुत्र श्री शेखर सिंह निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु 55 स्वामी मैसर्स अरुण बिक्री प्रो. सकलपुत्रा लोनी गाजियाबाद
लोनी गाजियाबाद गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के क्रम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में क्रम संख्या 15 पर अंकित ईट भटठा अरुण बिक्री प्रो. सकलपुत्रा लोनी गाजियाबाद का पूरा नाम एवं पता अरुण बिक्री प्रो. सकलपुत्रा लोनी गाजियाबाद है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठों का संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठों का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।




ATTESTED
14/03/2020
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

अशोक चंद्र
शपथकर्ता



कम संख्या-19 मैसर्स अरूण ब्रिक फील्ड, शकलपुरा, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5991 / सी / ईट भटठा—480 / 2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स बाबा मोहन राम ब्रिक फील्ड, औरंगाबाद रितस्ल, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **क्रम संख्या 13** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स बाबा मोहन राम ब्रिक फील्ड, औरंगाबाद रितस्ल, लोनी, गाजियाबाद** का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स बाबा मोहन राम ब्रिक फील्ड, औरंगाबाद रितस्ल, लोनी, गाजियाबाद** पर रु० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

g/c ram

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स बाबा मोहन राम ब्रिक फील्ड, औरंगाबाद रितस्ल, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में क्रम संख्या 13 पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स बाबा मोहन राम ब्रिक फील्ड, औरंगाबाद रितस्ल, लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।

कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2023 प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स बाबा मोहन राम ब्रिक फील्ड, औरंगाबाद रितस्ल, लोनी, गाजियाबाद** पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ पत्र

10AE 808248

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।


शपथकर्ता सत्यपाल सिंह पुत्र श्री नगवत सिंह (B.M.R) निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु 57 स्वामी मैसर्स दादा महेश राम सिंह चिल्ड्रें
रिस्टोरेंट गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि-

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 13 पर अंकित ईट भटठा B.M.R का पूरा नाम एवं पता B.M.R 2221 रिस्टोरेंट है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द कर दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं।
मैं प्रतिबद्धतापूर्वक कहता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठों का संचालन नहीं करूंगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन निश्चय करूंगा।



MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

शपथकर्ता



कम संख्या-13 मैसर्स बाबा मोहन राम ब्रिक फील्ड, औरंगाबाद रितस्ल, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5990/सी/ईट भटठा-966/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स एम०एस०सी० ब्रिक फील्ड, सीती महमूदपुर लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **कम संख्या 11** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स एम०एस०सी० ब्रिक फील्ड, सीती महमूदपुर** लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स एम०एस०सी० ब्रिक फील्ड, सीती महमूदपुर**, लोनी, गाजियाबाद पर ₹० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c 16/3/20

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स एम0एस0सी0 ब्रिक फील्ड, सीती महमूदपुर लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में कम संख्या 11 पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स एम0एस0सी0 ब्रिक फील्ड, सीती महमूदपुर लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2023 प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के कम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स एम0एस0सी0 ब्रिक फील्ड, सीती महमूदपुर लोनी, गाजियाबाद** पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ पत्र

10AE 808246

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।


शपथकर्ता राहुल राम पुत्र श्री आशाराम निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु 52 स्वामी मैसर्स एच. एन. ए. कृष्ण कपूर
गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 11 पर अंकित ईट भटठा MSC का पूरा नाम एवं पता एच. एन. ए. कृष्ण कपूर है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठें का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भटठें को सहमति निर्गत है/नहीं
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठे के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठे का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायगा।



MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

शपथकर्ता



कम संख्या-11 मैसर्स एम0एस0सी0 ब्रिक फील्ड, सीती महमूदपुर लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5989/सी/ईट भटठा-487/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स बालाजी ग्राम उद्योग संस्था (बालाजी भटठा उद्योग), सीती महमूदपुर लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में कम संख्या 10 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स बालाजी ग्राम उद्योग संस्था (बालाजी भटठा उद्योग), सीती महमूदपुर लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स मैसर्स बालाजी ग्राम उद्योग संस्था (बालाजी भटठा उद्योग), सीती महमूदपुर, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

०/८ रार

मैसर्स बालाजी ग्राम उद्योग संस्था (बालाजी भट्टा उद्योग), सीती महमूदपुर लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भट्टों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में कम संख्या 10 पर अंकित ईट भट्टा **मैसर्स बालाजी ग्राम उद्योग संस्था (बालाजी भट्टा उद्योग), सीती महमूदपुर** लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भट्टा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भट्टे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भट्टा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भट्टा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भट्टा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भट्टों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भट्टों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भट्टे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भट्टों का संचालन होता हुआ पाया गया था।

कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भट्टे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.12.2022 प्राप्त है।

अतः ईट भट्टे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के कम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भट्टे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स बालाजी ग्राम उद्योग संस्था (बालाजी भट्टा उद्योग), सीती महमूदपुर** लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



कम संख्या-10 मैसर्स बालाजी ग्राम उधोग संस्था (बालाजी भट्टा उधोग), सीती महमूदपुर लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5988/सी/ईट भटठा-944/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स बालाजी भटठा कं० पुराना नाम दीप भटठा कम्पनी (बालाजी ब्रिक फील्ड), असालतपुर लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **कम संख्या 09** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स बालाजी भटठा कं० पुराना नाम दीप भटठा कम्पनी (बालाजी ब्रिक फील्ड), असालतपुर लोनी, गाजियाबाद** का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स बालाजी भटठा कं० पुराना नाम दीप भटठा कम्पनी (बालाजी ब्रिक फील्ड), असालतपुर, लोनी, गाजियाबाद** पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

9/3/20

मैसर्स बालाजी भटठा कं० पुराना नाम दीप भटठा कम्पनी (बालाजी ब्रिक फील्ड), असालतपुर लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में क्रम संख्या 09 पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स बालाजी भटठा कं० पुराना नाम दीप भटठा कम्पनी (बालाजी ब्रिक फील्ड), असालतपुर लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2023 प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स बालाजी भटठा कं० पुराना नाम दीप भटठा कम्पनी (बालाजी ब्रिक फील्ड), असालतपुर लोनी, गाजियाबाद** पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन०के० पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी०के० सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10



TEN
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808217

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता अशोक कश्यप पुत्र श्री दशरथ चन्द निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु स्वामी मैसर्स बालाजी गृहों
गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भट्टा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भट्टों की सूची के साथ सभी ईट भट्टों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 9 पर अंकित ईट भट्टा असालतपुर लोनी गा.बाद का पूरा नाम एवं पता है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भट्टों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भट्टा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भट्टों को सहमति निर्गत है/नहीं।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भट्टा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भट्टा के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भट्टे का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 09.03.2020 को जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन जायगा।



ATTESTED
14/03/2020
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

अशोक
शपथकर्ता



क्रम संख्या-09 मैसर्स बालाजी भट्टा कं० पुराना नाम दीप भट्टा कम्पनी (बालाजी ब्रिक फील्ड), असालतपुर लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5987/सी/ईट भटठा-146/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स बी०एम० भटठा कम्पनी, असालतपुर लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **कम संख्या 08** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स बी०एम० भटठा कम्पनी, असालतपुर** लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स बी०एम० भटठा कम्पनी, असालतपुर**, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स बी0एम0 भटठा कम्पनी, असालतपुर लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **क्रम संख्या 08** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स बी0एम0 भटठा कम्पनी, असालतपुर लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2023 प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-


EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स बी0एम0 भटठा कम्पनी, असालतपुर लोनी, गाजियाबाद** पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10



TEN
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808219

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता श्री. अमित पुत्र श्री श्री. राम सिंह निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु ३० वर्ष स्वामी मैसर्स श्री. राम सिंह
गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

- आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या ३० पर अंकित ईट भटठा श्री. राम सिंह लोनी-गाजियाबाद का पूरा नाम एवं पता श्री. राम सिंह लोनी-गाजियाबाद है।
- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंचार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठें का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
- वर्तमान में मेरे ईट भटठें को सहमति निर्गत है/नहीं
- मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठे के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठे का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करूँगा।



ATTESTED
14/03/20
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

श्री. अमित
शपथकर्ता



कम संख्या-08 मैसर्स बी0एम0 भट्टा कम्पनी, असालतपुर लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5986/सी/ईट भटठा-662/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स धामा भटठा कम्पनी, (एम०बी०एफ०), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में कम संख्या 58 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स धामा भटठा कम्पनी, (एम०बी०एफ०), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स धामा भटठा कम्पनी, (एम०बी०एफ०), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी
०/८ १०५१

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स धामा भटठा कम्पनी, (एम0बी0एफ0), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में क्रम संख्या 58 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स धामा भटठा कम्पनी, (एम0बी0एफ0), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2023 की अवधि तक प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स धामा भटठा कम्पनी, (एम0बी0एफ0), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808215

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता जाश्वर सिंह पुत्र श्री श्री देवराज निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु 60 स्वामी मैसर्स दामा प्रथम कंपनी
वाडशाहपुर सिरौली गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ समी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 58 पर अंकित ईट भटठा वाडशाहपुर सिरौली लोनी गाजियाबाद का पूरा नाम एवं पता है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं

4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठों का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 को जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।



ATTESTED
14/03/20
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

जाश्वर सिंह
शपथकर्ता



कम संख्या-58 मैसर्स धामा भट्टा कम्पनी, (एम0बी0एफ0), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5985/सी/ईट भटठा-356/2020

दिनांक 14/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स मान्या ब्रिक फील्ड, (एम०के० एफ०), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **कम संख्या 50** पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **मान्या ब्रिक फील्ड, (एम०के० एफ०)**, बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मान्या ब्रिक फील्ड, (एम०के० एफ०)**, बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c RAR

मैसर्स मान्या ब्रिक फील्ड, (एम0के0 एफ0), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **कम संख्या 50** पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **श्री मान्या ब्रिक फील्ड, (एम0के0 एफ0)**, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2023 तक प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के कम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-


EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मान्या ब्रिक फील्ड, (एम0के0 एफ0)**, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ पत्र

10AE 808245

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता लौहित गायन पुत्र श्री आदमशाह गोपल निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु 25/06/2000 स्वामी मैसर्स मानविक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि- मानविक (MKF)

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भट्टा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भट्टों की सूची के साथ सभी ईट भट्टों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 35 पर अंकित ईट भट्टा MKF का पूरा नाम एवं पता मानविक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है।
2. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा0 एन0जी0टी0 के अग्रिम आदेशों तक ईट भट्टों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भट्टा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भट्टों को सहमति निर्गत है/नहीं
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भट्टा पूर्णतः बन्द है मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जबतक ईट भट्टों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है तबतक मैं ईट भट्टों का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।



ATTESTED
MANOJKUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

Manoj
शपथकर्ता



क्रम संख्या-50 मैसर्स मान्या ब्रिक फील्ड, (एम०के० एफ०), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5904/सी/ईट भटठा-212/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स शिव शक्ति ब्रिक उद्योग, (एस०बी०एफ०), धारीपुर लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **क्रम संख्या 44** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स शिव शक्ति ब्रिक उद्योग, (एस०बी०एफ०), धारीपुर** लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स शिव शक्ति ब्रिक उद्योग, (एस०बी०एफ०), धारीपुर** लोनी, गाजियाबाद पर रु० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी
9/c ram

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स शिव शक्ति ब्रिक उद्योग, (एस0बी0एफ0), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **क्रम संख्या 44** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स शिव शक्ति ब्रिक उद्योग, (एस0बी0एफ0), धारीपुर** लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु को दिनांक 31.07.2023 तक प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स शिव शक्ति ब्रिक उद्योग, (एस0बी0एफ0), धारीपुर** लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808226

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता अजीत पुत्र श्री अंतर सिंह निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु..... स्वामी मैसर्स शिवशक्ति लि. शोरा धारी प्र
..... गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि-

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 44 पर अंकित ईट भटठा S.B.F का पूरा नाम एवं पता..... है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः रूक कर दिया गया है।
3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं।
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठों का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 को जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।



ATTESTED
14/03/20
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

अजीत कुमार
शपथकर्ता



क्रम संख्या-44 मैसर्स शिव शक्ति ब्रिक उद्योग, (एस0बी0एफ0), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5983/सी/ईट भटठा-6000/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स प्रधान ब्रिक फील्ड (पी०बी०एफ०), मेवला भटटी, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **कम संख्या 38** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स प्रधान ब्रिक फील्ड (पी०बी०एफ०), मेवला भटटी, लोनी, गाजियाबाद** का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स प्रधान ब्रिक फील्ड (पी०बी०एफ०), मेवला भटटी, लोनी, गाजियाबाद** पर रु० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी
o/c r/w

मैसर्स प्रधान ब्रिक फील्ड (पी0बी0एफ0), मेवला भटटी, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में क्रम संख्या 38 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स प्रधान ब्रिक फील्ड (पी0बी0एफ0), मेवला भटटी, लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2022 तक प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स प्रधान ब्रिक फील्ड (पी0बी0एफ0), मेवला भटटी, लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।



(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808242

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।


शपथकर्ता, सख्त सिंह पुत्र श्री रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु ५६ स्वामी मैसर्स पुष्कर सिंह कौशिक
गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि-

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के क्रम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में क्रम संख्या 38 पर अंकित ईट भटठा PBF का पूरा नाम एवं पता एन०जी०टी० लोनी गाजियाबाद है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं /नहीं
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठों का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।



ATTESTED
14/03/2020
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

शपथकर्ता



कम संख्या-38 मैसर्स प्रधान ब्रिक फील्ड (पी0बी0एफ0), मेवला भट्टी, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5982/सी/ईट भटठा-556/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स शक्ति ब्रिक फील्ड (पी०बी०एफ०), मेवला भटटी, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **क्रम संख्या 37** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स शक्ति ब्रिक फील्ड (पी०बी०एफ०), मेवला भटटी, लोनी, गाजियाबाद** का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स शक्ति ब्रिक फील्ड (पी०बी०एफ०), मेवला भटटी, लोनी, गाजियाबाद** पर रु० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स शक्ति ब्रिक फील्ड (पी0बी0एफ0), मेवला भटटी, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में क्रम संख्या 37 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स शक्ति ब्रिक फील्ड (पी0बी0एफ0), मेवला भटटी,, लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.12.2022 तक प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स शक्ति ब्रिक फील्ड (पी0बी0एफ0), मेवला भटटी, लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808221

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।


शपथकर्ता सुलकराज पुत्र श्री शक्ति सिंह निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु स्वामी मैसर्स शक्ति विक लिमिटेड
गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के क्रम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 37 पर अंकित ईट भटठा S.B.C. का पूरा नाम एवं पता..... है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं ✓
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठों का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।



ATTESTED
14/03/20
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

Manoj Kumar
शपथकर्ता



कम संख्या-37 मैसर्स शक्ति ब्रिक फील्ड (पी0बी0एफ0), मेवला भटटी, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 6005/सी/ईट भटठा-963/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स वी०बी०एफ० मॉ भगवती भटठा कम्पनी, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **कम संख्या 57** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स वी०बी०एफ० मॉ भगवती भटठा कम्पनी, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद** का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स वी०बी०एफ० मॉ भगवती भटठा कम्पनी, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद** पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनाार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी
o/c r/c

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स वी०बी०एफ० मॉ भगवती भटठा कम्पनी, बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में क्रम संख्या 57 पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स वी०बी०एफ० मॉ भगवती भटठा कम्पनी, बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।

कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स वी०बी०एफ० मॉ भगवती भटठा कम्पनी, बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद** पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन०के० पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी०के० सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808225

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।


शपथकर्ता ^{जयप्रभाश} जी.वी.एस.एस. पुत्र श्री निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु स्वामी मैसर्स V.B.F. जाकशाहपुर बिशरी - माँ भगवती भट्टा
..... गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

- आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 57 पर अंकित ईट भटठा V.B.F. का पूरा नाम एवं पता V.B.F. जाकशाहपुर बिशरी लोनी गाजियाबाद है।
- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
- वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं
- मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठों का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करूँगा।



ATTESTED
14/03/2020
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

जी
शपथकर्ता



कम संख्या-57 मैसर्स वी0बी0एफ0 मॉ भगवती भट्टा कम्पनी, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 6004/सी/ईट भटठा-722/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स एच०बी०सी० भटठा कम्पनी, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **कम संख्या 59** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स एच०बी०सी० भटठा कम्पनी, बादशाहपुर सिरोली**, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स एच०बी०सी० भटठा कम्पनी, बादशाहपुर सिरोली**, लोनी, गाजियाबाद पर रु० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी
०/८/२०

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स एच0बी0सी0 भटठा कम्पनी, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में कम संख्या 59 पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स एच0बी0सी0 भटठा कम्पनी, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के कम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-


EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स एच0बी0सी0 भटठा कम्पनी, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद** पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808223

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता राजराज पुत्र श्री हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु..... स्वामी मैसर्स H.B.C. शटराकम्पनी कायदापुर सिरीली
गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 59 पर अंकित ईट भटठा H.B.C. का पूरा नाम एवं पता H.B.C. शटराकम्पनी कायदापुर सिरीली है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं

मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठों का संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठों का संचालन नहीं करूँगा एवं आदेश प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करूँगा।



ATTESTED
14/03/2020
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

राजराज
शपथकर्ता



कम संख्या-59 मैसर्स एच0बी0सी0 भट्टा कम्पनी, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 6003/सी/ईट भटठा—359/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स श्री कृष्ण ब्रिक फील्ड, (एस०के०बी०), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में क्रम संख्या 53 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **श्री कृष्ण ब्रिक फील्ड, (एस०के०बी०)**, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **श्री कृष्ण ब्रिक फील्ड, (एस०के०बी०)**, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स श्री कृष्ण ब्रिक फील्ड, (एस0के0बी0), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में क्रम संख्या 53 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **श्री कृष्ण ब्रिक फील्ड, (एस0के0बी0)**, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।

कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2022 तक प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-


EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **श्री कृष्ण ब्रिक फील्ड, (एस0के0बी0)**, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808228

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार शर्मा निवासी ग्राम लोनी, गाजियाबाद आयु स्वामी मैसर्स उर्मी प्रिन्टिंग प्रेस प्राइवेट लिमिटेड


सिद्धोली गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के क्रम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 2853 पर अंकित ईट भटठा SKR का पूरा नाम एवं पता श्री प्रिन्टिंग प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धोली, गाजियाबाद है।
 2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठें का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
- समाप्त में मेरे ईट भटठें को सहमति निर्गत है/नहीं स्थापित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठे का संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठे का संचालन नहीं करूँगा एवं मा० द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।




ATTESTED
14/03/2020
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

Suresh Kumar शपथकर्ता



कम संख्या-53 मैसर्स श्री कृष्ण ब्रिक फील्ड, (एस0के0बी0), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 6002/सी/ईट भटठा-233/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स एम०आर०के० भटठा कम्पनी, (333), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में क्रम संख्या 52 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **एम०आर०के० भटठा कम्पनी, (333)**, बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **एम०आर०के० भटठा कम्पनी, (333)**, बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मैसर्स एम0आर0के0 भटठा कम्पनी, (333), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में क्रम संख्या 52 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **श्री एम0आर0के0 भटठा कम्पनी, (333)**, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2022 तक प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **एम0आर0के0 भटठा कम्पनी, (333)**, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808224

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता अमित कुमार पुत्र श्री जवाब सिंह निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु 40 स्वामी मैसर्स M.R.K. शहज सुपरी, बादशाहपुर
सिरोहा गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि-

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भट्टा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भट्टों की सूची के साथ सभी ईट भट्टों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 52 पर अंकित ईट भट्टा सहज सुपरी का पूरा नाम एवं पता बादशाहपुर सिरोहा लोनी गाजियाबाद है। 333
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भट्टों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भट्टा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भट्टों को सहमति निर्गत है/नहीं /
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भट्टा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भट्टों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भट्टों का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करूँगा।



ATTESTED
14/03/2020
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

Manoj Kumar
शपथकर्ता



क्रम संख्या-52 मैसर्स एम0आर0के0 भट्टा कम्पनी, (333), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 6001/सी/ईट भटठा-595/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स श्री साई राम भटठा कम्पनी, (333), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में क्रम संख्या 51 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स श्री साई राम भटठा कम्पनी, (333), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स श्री साई राम भटठा कम्पनी, (333), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी
o/c ROR

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स श्री साई राम भटठा कम्पनी, (333), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में क्रम संख्या 51 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **श्री श्री साई राम भटठा कम्पनी, (333)**, बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2023 तक प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **श्री साई राम भटठा कम्पनी, (333)**, बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10



TEN
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808227

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता यशपाल सिंह पुत्र श्री ब्रजवर्मा सिंह निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु 35 स्वामी मैसर्स श्री. संदीप शर्मा कम्पनी, बादशाहपुर
लौनी गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 51 पर अंकित ईट भटठा 333 का पूरा नाम एवं पता बादशाहपुर लोनी लोनी गाजियाबाद है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।

3. वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं

मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठे के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठे का संचालन नहीं करूँगा एवं

आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन



ATTESTED
11/03/2020
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Associate & Notary
Govt. of India

Yashpal Singh
शपथकर्ता



कम संख्या-51 मैसर्स श्री साई राम भट्टा कम्पनी, (333), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 6000/सी/ईट भटठा-265/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स पी०आर०बी० भटठा कम्पनी, (पी०बी०एफ०), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **कम संख्या 49** पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **पी०आर०बी० भटठा कम्पनी, (पी०बी०एफ०)**, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **पी०आर०बी० भटठा कम्पनी, (पी०बी०एफ०)**, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मैसर्स पी0आर0बी0 भटठा कम्पनी, (पी0बी0एफ0), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **क्रम संख्या 49** पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **पी0आर0बी0 भटठा कम्पनी, (पी0बी0एफ0)**, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2021 तक प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **पी0आर0बी0 भटठा कम्पनी, (पी0बी0एफ0)**, बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ पत्र

10AE 808243

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।


शपथकर्ता पद्म गुप्ता पुत्र श्री संतोषपाल निवासी ग्राम लोनी
गाजियाबाद आयु 32 स्वामी मैसर्स P.R.B. Bhatta Co. सिरोली
..... गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 49 पर अंकित ईट भटठा P.R.B. का पूरा नाम एवं पता P.R.B. Bhatta Co. गाजियाबाद है।
2. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा0 एन0जी0टी0 के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं।
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जबतक ईट भटठे के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठे का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।



ATTESTED
14/03/20
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

Trads
शपथकर्ता



कम संख्या-49 मैसर्स पी0आर0बी0 भट्टा कम्पनी, (पी0बी0एफ0), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या 5999/सी/ईट भटठा-598/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स डी०सी०एम० भटठा उद्योग, (डी०सी०एम०), धारीपुर,, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **क्रम संख्या 47** पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **डी०सी०एम० भटठा उद्योग, (डी०सी०एम०), धारीपुर,** लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **डी०सी०एम० भटठा उद्योग, (डी०सी०एम०), धारीपुर,** लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी


क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स डी0सी0एम0 भटठा उद्योग, (डी0सी0एम0), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **क्रम संख्या 47** पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **डी0सी0एम0 भटठा उद्योग, (डी0सी0एम0), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **डी0सी0एम0 भटठा उद्योग, (डी0सी0एम0), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद** पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808235

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।


शपथकर्ता हरिभ सिंह पुत्र श्री उपानन्द भारी निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आंच. 46 स्वामी मैसर्स श्री. सी. वी. एन. ए. उद्योग
घासडा गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 47 पर अंकित ईट भटठा J.C.M. का पूरा नाम एवं पता घासडा लोनी गा. क. है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठें का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भटठें को सहमति निर्गत है/नहीं /नहीं
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठें के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक ईट भटठें का संचालन नहीं करूंगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।




ATTESTED
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

Haribh Singh
शपथकर्ता



क्रम संख्या-47 मैसर्स डी0सी0एम0 भट्ठा उद्योग, (डी0सी0एम0), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5998/सी/ईट भटठा-558/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स श्री राम भटठा कम्पनी, (आर०बी०सी०), धारीपुर,, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **क्रम संख्या 45** पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **श्री राम भटठा कम्पनी, (आर०बी०सी०), धारीपुर,** लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **श्री राम भटठा कम्पनी, (आर०बी०सी०), धारीपुर,** लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स श्री राम भट्टा कम्पनी, (आर०बी०सी०), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भट्टों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **क्रम संख्या 45** पर अंकित ईट भट्टा मैसर्स **श्री राम भट्टा कम्पनी, (आर०बी०सी०), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भट्टा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भट्टे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भट्टा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भट्टा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भट्टा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भट्टों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भट्टों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भट्टे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भट्टों का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भट्टे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2023 तक प्राप्त है।

अतः ईट भट्टे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भट्टे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **श्री राम भट्टा कम्पनी, (आर०बी०सी०), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद** पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन०के० पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी०के० सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808233

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता रविन्द्र कुमार पुत्र श्री विद्याराम निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु..... स्वामी मैसर्स. श्री राम भद्रा कम्पनी धारीपुर लोनी
..... गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के क्रम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में क्रम संख्या 45 पर अंकित ईट भटठा R.B.C का पूरा नाम एवं पता श्री राम भद्रा कम्पनी धारीपुर लोनी गाजियाबाद है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठे के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठे का संचालन नहीं करूँगा एवं आम द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।



ATTESTED
14/03/2020
MANOJ KUMAR
Reg. No.-95
Advocate & Notary
Govt. of India

रविन्द्र कुमार
शपथकर्ता



कम संख्या-45 मैसर्स श्री राम भट्टा कम्पनी, (आर०बी०सी०), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 5992/सी/ईट भटठा-725/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स राम ब्रिक फील्ड (एल०बी०एफ०), धारीपुर मेवला, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **क्रम संख्या 39** पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **राम ब्रिक फील्ड (एल०बी०एफ०), धारीपुर मेवला**, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स मैसर्स **राम ब्रिक फील्ड (एल०बी०एफ०), धारीपुर मेवला**, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

9/c ram

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स राम ब्रिक फील्ड (एल0बी0एफ0), धारीपुर मेवला, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **क्रम संख्या 39** पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **राम ब्रिक फील्ड (एल0बी0एफ0), धारीपुर मेवला, लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2023 तक प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **राम ब्रिक फील्ड (एल0बी0एफ0), धारीपुर मेवला, लोनी, गाजियाबाद** पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10



TEN
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808220

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता रविन्द्र पुत्र श्री शैलकराज निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु स्वामी मैसर्स राप्र विक फिर्ड
गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

- आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 39 पर अंकित ईट भटठा L.B.F का पूरा नाम एवं पता राप्र विक फिर्ड धारीप्र प्रबला लोनी गाजियाबाद है।
- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।

3 मैं मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/जहाँ
4 मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठा के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठे का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

रविन्द्र कुमार
शपथकर्ता



क्रम संख्या-39 मैसर्स राम ब्रिक फील्ड (एल0बी0एफ0), धारीपुर मेवला, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 6012/सी/ईट भटठा-...../2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स आर०एम० बिल्डर्स (आर०एल०एम० ब्रिक फील्ड), महमूदपुर लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में कम संख्या 12 पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स आर०एम० बिल्डर्स (आर०एल०एम० ब्रिक फील्ड), महमूदपुर लोनी, गाजियाबाद** का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **मैसर्स आर०एम० बिल्डर्स (आर०एल०एम० ब्रिक फील्ड), महमूदपुर, लोनी, गाजियाबाद** पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

मैसर्स आर0एम0 बिल्डर्स (आर0एल0एम0 ब्रिक फील्ड), महमूदपुर लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या ।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **कम संख्या 12** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स आर0एम0 बिल्डर्स (आर0एल0एम0 ब्रिक फील्ड), महमूदपुर, लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठों का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2023 प्राप्त है।


अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के कम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स आर0एम0 बिल्डर्स (आर0एल0एम0 ब्रिक फील्ड), महमूदपुर लोनी, गाजियाबाद** पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808239

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता रोहित कसाना पुत्र श्री श्री सन्तारा कसाना निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु 30 स्वामी मैसर्स R.M. विल्स
गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि-

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 12 पर अंकित ईट भटठा R.M. का पूरा नाम एवं पता R. B. S. P. F. महामुद्रा, लोनी गाजियाबाद है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं ✓/।
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठों का संचालन नहीं करूँगा एवं अन्य द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।



ATTESTED
14/03/2020
MANOJ KUMAR
Reg. No. -9543
Advocate & Notary
Govt. of India

रोहित कसाना
शपथकर्ता



कम संख्या-12, मैसर्स आर0एम0 बिल्डर्स (आर0एल0एम0 ब्रिक फील्ड), महमूदपुर लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 6011/सी/ईट भटठा-...../2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स दुर्गा ब्रिक फील्ड, भनेड़ा खुर्द, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में क्रम संख्या 07 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स दुर्गा ब्रिक फील्ड, भनेड़ा खुर्द, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स मैसर्स दुर्गा ब्रिक फील्ड, भनेड़ा खुर्द, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स दुर्गा ब्रिक फील्ड, भनेड़ा खुर्द, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **कम संख्या 07** पर अंकित ईट भटठा **मैसर्स दुर्गा ब्रिक फील्ड, भनेड़ा खुर्द, लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के कम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत **मैसर्स दुर्गा ब्रिक फील्ड, भनेड़ा खुर्द, लोनी, गाजियाबाद** पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808237

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता कुशल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु 50 वर्ष स्वामी मैसर्स इलाक़ा क्रीक फ़िल्ड
..... गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि--

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भट्टा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भट्टों की सूची के साथ सभी ईट भट्टों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 7 पर अंकित ईट भट्टा D.B.F. का पूरा नाम एवं पता अनेडा रावडे लोनी गाजियाबाद है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भट्टों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भट्टा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भट्टों को सहमति निर्गत है/नहीं

..... प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भट्टा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भट्टों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भट्टों का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन जायेगा।



14/03/2020
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

Kuldev Singh
शपथकर्ता



क्रम संख्या-07 मैसर्स दुर्गा ब्रिक फील्ड, भनेड़ा खुर्द, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 6610/सी/ईट भटठा-...../2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स प्रधान ब्रिक फील्ड (पी०बी०एफ०), मेवला भटटी, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **क्रम संख्या 42** पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **प्रधान ब्रिक फील्ड (पी०बी०एफ०), मेवला भटटी**, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स मैसर्स **प्रधान ब्रिक फील्ड (पी०बी०एफ०), मेवला भटटी**, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स प्रधान ब्रिक फील्ड (पी0बी0एफ0), मेवला भटटी लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **कम संख्या 42** पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **प्रधान ब्रिक फील्ड (पी0बी0एफ0), मेवला भटटी**, लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के कम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **प्रधान ब्रिक फील्ड (पी0बी0एफ0), मेवला भटटी**, लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808249

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता विभव पुत्र श्री भद्रे (श्री) निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु ५५ स्वामी मैसर्स एच.ए.ए. विले कील मेवली बस्ती
लोनी गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के क्रम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में क्रम संख्या ५२ पर अंकित ईट भटठा १५६ का पूरा नाम एवं पता मेवली बस्ती लोनी गाजियाबाद है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संबलित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
3. वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/नहीं
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठों के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है, तबतक मैं ईट भटठों का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करूँगा।



ATTESTED
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

विभव
शपथकर्ता



कम संख्या-42 मैसर्स प्रधान ब्रिक फील्ड (पी0बी0एफ0), मेवला भटटी लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 6009/सी/ईट भटठा-548/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स किसान भटठा कम्पनी, (के०बी०सी०), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में कम संख्या 54 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स किसान भटठा कम्पनी, (के०बी०सी०), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स किसान भटठा कम्पनी, (के०बी०सी०), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स किसान भटठा कम्पनी, (के0बी0सी0), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में क्रम संख्या 54 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **किसान भटठा कम्पनी, (के0बी0सी0)**, बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठों का संचालन होता हुआ पाया गया था।

कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2023 तक प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-


EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स किसान भटठा कम्पनी, (के0बी0सी0), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808229

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता राजय बंसल पुत्र श्री 2141 निरम बंसल निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आयु..... 45 स्वामी मैसर्स..... मिशन गैर कम्पनी (K.R.C.)
..... गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि—

- आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के क्रम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में क्रम संख्या 295 पर अंकित ईट भटठा K.R.C. का पूरा नाम एवं पता 2141 निरम बंसल लोनी गाजियाबाद है।
- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठें का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
- वर्तमान में मेरे ईट भटठें को सहमति निर्गत है/नहीं।
- मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठे के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है तबतक मैं ईट भटठे का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।



ATTESTED
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

Sanjay Bemsal
शपथकर्ता



कम संख्या-54 मैसर्स किसान भट्टा कम्पनी, (के०बी०सी०), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 6008/सी/ईट भटठा-504/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स राकेश ब्रिक फील्ड, (एल०बी०एफ०), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में क्रम संख्या 55 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स राकेश ब्रिक फील्ड, (एल०बी०एफ०), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स राकेश ब्रिक फील्ड, (एल०बी०एफ०), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मैसर्स राकेश ब्रिक फील्ड, (एल0बी0एफ0), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में कम संख्या 55 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स राकेश ब्रिक फील्ड, (एल0बी0एफ0), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठें का संचालन होता हुआ पाया गया था।

कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2023 तक प्राप्त है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के कम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-


EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स राकेश ब्रिक फील्ड, (एल0बी0एफ0), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ पत्र

10AE 808240

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता श्री श्री राम कुमार पुत्र श्री श्री सराफ खान निवासी ग्राम लोनी,
गाजियाबाद आमु. घुं स्वामी मैसर्स राजेय प्रिन्टिंग प्रिसेस
लगे गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि-

- आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के कम से सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या 55 पर अंकित ईट भटठा 21.3.20 का पूरा नाम एवं पता राजेय प्रिन्टिंग प्रिसेस है।
- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठों का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।
- वर्तमान में मेरे ईट भटठों को सहमति निर्गत है/ नहीं
- मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठों के संचालन हेतु अनुमति नहीं की जाती है तबतक मैं ईट भटठों का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।



ATTESTED
MANOJ KUMAR
Reg. No. -9543
Advocate & Notary
Govt. of India

शपथकर्ता



क्रम संख्या-55 मैसर्स राकेश ब्रिक फील्ड, (एल0बी0एफ0), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 6087/सी/ईट भटठा-722/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स हनुमान ब्रिक फील्ड, (एच०बी०एफ०), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में क्रम संख्या 56 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स हनुमान ब्रिक फील्ड, (एच०बी०एफ०), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठों के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स हनुमान ब्रिक फील्ड, (एच०बी०एफ०), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स हनुमान ब्रिक फील्ड, (एच0बी0एफ0), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में क्रम संख्या 56 पर अंकित ईट भटठा मैसर्स हनुमान ब्रिक फील्ड, (एच0बी0एफ0), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठों का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स हनुमान ब्रिक फील्ड, (एच0बी0एफ0), बादशाहपुर सिरौली, लोनी, गाजियाबाद पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी



क्रम संख्या-56 मैसर्स हनुमान ब्रिक फील्ड, (एच0बी0एफ0), बादशाहपुर सिरोली, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 6006/सी/ईट भटठा-399/2020

दिनांक 16/03/2020

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मैसर्स बाबा भटठा कम्पनी, (बाबा ब्रिक फील्ड), धारीपुर,, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 में पारित नवीनतम आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 5908/सा०पत्रा०-26/2020 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव, ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद एवं सम्बन्धित सभी ईट भटठों को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस०टी०-एस०डी०एम०-2019-20 दिनांक 11.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न आख्या में **क्रम संख्या 46** पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **बाबा भटठा कम्पनी, (बाबा ब्रिक फील्ड), धारीपुर,** लोनी, गाजियाबाद का संचालन जिला प्रशासन द्वारा बन्द करा दिया गया था।

ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के क्रम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **बाबा भटठा कम्पनी, (बाबा ब्रिक फील्ड), धारीपुर,** लोनी, गाजियाबाद पर रू० 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स बाबा भटठा कम्पनी, (बाबा ब्रिक फील्ड), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, लोनी गाजियाबाद के पत्रांक 1629/एस0टी0-एस0डी0एम0-2019-20 दिनांक 11.03.2020 द्वारा ईट भटठों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में **कम संख्या 46** पर अंकित ईट भटठा मैसर्स **बाबा भटठा कम्पनी, (बाबा ब्रिक फील्ड), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद** आख्यानुसार ईट भटठा संचालित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ईट भटठे की फुकाई/संचालन बन्द करा दी गयी है। तदोपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईट भटठा स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 14.03.2020 के कम में क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 16.03.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त भटठा बन्द पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है। शपथ पत्र के अनुसार ईट भटठा दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 को संचालित किया गया था।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा समस्त ईट भटठों का निरीक्षण/सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है। विगत में दिनांक 15.02.2020 से दिनांक 05.03.2020 के मध्य लोनी क्षेत्र में स्थापित ईट भटठों का निरीक्षण किया गया, सर्वेक्षण के दौरान तहसील लोनी में स्थापित किसी भी ईट भटठे द्वारा फुकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था और न ही ईट भटठों का संचालन होता हुआ पाया गया था।


कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में ईट भटठे को राज्य बोर्ड द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है।

अतः ईट भटठे को दिनांक 09.03.2020 एवं 10.03.2020 में संचालित होने के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पवार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जारी आदेशों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के कम में number of days (N=02) मानते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना आख्या निम्नवत् है-

EC	Number of days(02) मानते हुये गणना
PIxNxRxSxLF	50x02x250x0.5x1.0=12,500/-

उपरोक्तानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के उल्लंघन में ईट भटठे के संचालन किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स **बाबा भटठा कम्पनी, (बाबा ब्रिक फील्ड), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद** पर रू0 12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन0के0 पाण्डेय)
अवर अभियंता


(बी0के0 सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शपथ पत्र

10AE 808234

समक्ष: क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

शपथकर्ता नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरीमन निवासी ग्राम लोनी, शिमला
गाजियाबाद आयु 59 स्वामी मैसर्स बाबा भूरा कम्पनी धारीपुर
गाजियाबाद शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ कि--

1. आपके कार्यालय द्वारा ईट भटठा निर्मात समिति, लोनी के अध्यक्ष को 35 भटठों की सूची के साथ सभी ईट भटठों को यह नोटिस प्रेषित किया गया है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, के क्रम में सूचित कराना है कि प्राप्त सूची में कम संख्या (24)46 पर अंकित ईट भटठा (BABA) का पूरा नाम एवं पता बाबा भूरा कम्पनी धारीपुर है।
2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 1016/2019 उत्कर्ष पंवार बनाम केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आपके द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 जो कि ईट निर्माता समिति, गाजियाबाद के उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मा० एन०जी०टी० के अग्रिम आदेशों तक ईट भटठें का संचालन न किया जायें। मेरे द्वारा उक्त आदेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा था परन्तु दिनांक 09.03.2020 को उक्त ईट भटठा संचालित किया गया, जिसको जिला प्रशासन, लोनी की टीम द्वारा दिनांक 10.03.2020 को पूर्णतः बन्द करा दिया गया है।

वर्तमान में मेरे ईट भटठें को सहमति निर्गत है/नहीं ✓

मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में ईट भटठा पूर्णतः बन्द है मा० एन०जी०टी० द्वारा जबतक ईट भटठे के संचालन हेतु अनुमति नहीं दी जाती है तबतक मैं ईट भटठे का संचालन नहीं करूँगा एवं आप द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.03.2020 तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।



ATTESTED
14/03/2020
MANOJ KUMAR
Reg. No.-9543
Advocate & Notary
Govt. of India

नरेन्द्र कुमार
शपथकर्ता



कम संख्या-46 मैसर्स बाबा भट्टा कम्पनी, (बाबा ब्रिक फील्ड), धारीपुर, लोनी, गाजियाबाद के फोटोग्राफ।

मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन
प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ
दूरभाष-0522-2289212, 2289296, फ़ैक्स-2239283

ई-मेल : csup@nic.in

संख्या : 227/पी.एस.एम.एस./2020
दिनांक : 29 मार्च, 2020

समस्त जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत घोषित लाकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में कार्य करने वाले प्रदेश के निवासी वापस अपने मूल जनपदों में आ रहे हैं। महामारी को फैलने से रोकने हेतु यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को जन-सामान्य से पृथक रखा जाये। उक्त के दृष्टिगत कृपया ऐसे व्यक्तियों को सीधे उनके घर ले जाने के स्थान पर धर्मशालाओं, हास्टलों इत्यादि में क्वारंटाईन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा वहां उनका चिकित्सीय परीक्षण करवाया जाये। उक्त स्थल पर उनके खान-पान इत्यादि की भी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उन्हें क्वारंटाईन अवधि के उपरान्त ही उनके गाँव/निवास स्थलों पर जाने की अनुमति दी जाये।

2. जनपद में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यक वस्तुओं की दरों का अधिकतम मूल्य जिलाधिकारियों द्वारा निर्धारित करते हुए मेरी वस्तुओं की जमाखोरी एवं मनाफाखोरी पर अंकश लगाया जाये।

3. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईट-भट्टों को चालू रखा जाये तथा वहां कार्य कर रहे श्रमिकों हेतु खान-पान एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था की जाये।

4. जनपद में दवाओं की आपूर्ति की भी नियमित समीक्षा की जाये तथा दवाओं की आवश्यकता होने पर अविलम्ब प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को अवगत कराया जाये।



29.03.2020
(राजेंद्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, राजस्व, उ०प्र० शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० शासन।
5. समस्त मण्डल/युक्त उ०प्र०।



29.03.2020
(राजेंद्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

Monthly Average Air quality of CAAQMS Ghaziabad (March to May 2020)

Month		VASUNDHARA	GYANKHAND	LONI	SANJAI NAGAR
March	PM 10	142.66	127.35	149.2	126.51
	PM2.5	69.25	58.36	74.99	67.05
April	PM 10	122.48	106.34	167.54	128.52
	PM 2.5	48.7	42.22	74.99	59.5
May	PM 10	140.33	136.21	204.49	145.36
	PM 2.5	56.14	51.16	66.85	61.56